(73)

M.K Jain Advocate 2/5/13

न्यायालय माननीय मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / निगरानी/2013

R - 1671 - III/13

आवेदक....... कल्याण सिंह पुत्र प्रथीसिंह यादव, निवासी- ग्राम पठारी तहसील व जिला अशोकनगर म0प्र0

विरूद्ध

अनावेदक....... रामसिंह पुत्र प्रथीसिंह यादव, निवासी- ग्राम पठारी तहसील व जिला अशोकनगर, म0प्र0

म0 प्र0 भू राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी

- पुनरीक्षण आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 10/4/13 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी अशोक नगर, प्र0क0 84-अपील/2011-12 में पारित जिसके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर द्वारा अनावेदक द्वारा प्रस्तुत धारा 5 अवधि विधान के आवेदन पत्र को स्वीकार कर, न्यायालय अपर तहसीलदार वृत कचनार के प्र0क0 20-अ-27/10-11 में पारित आदेश दिनांक 31/3/12 के विरूद्ध अपील में हुआ विलम्ब क्षमा कर, अपील सुनवाई हेतु स्वीकार की।

माननीय महोदय,

सविनय आवेदक की ओर से पुनरीक्षण आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत हैः-

प्रकरण के तथ्य

(1) यह कि, आवेदक द्वारा पठारी तहसील एवं जिला अशोकनगर की भूमि सर्वे क्रमांक 171, 178, 190, 191 एवं 200 कुल किता 5

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निग./1671/तीन/2013 जिला अशोकनगर

कल्याण सिंह विरूद्ध रामसिंह आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17/6/19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक:- 84/अपील/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 10/04/2013 विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला अशोकनगर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 05/8/19 को कलेक्टर जिला अशोकनगर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (हस्ताक्षर) 17/6/19 (आर0के0 जैन) सदस्य	